

## अध्याय VII: वित्त मंत्रालय

### आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड

#### 7.1 पर्याप्त मूर्त प्रतिभूति पर जोर दिए बिना ऋण के पुनर्निर्धारण के निर्णय से प्राप्यों की गैर-वसूली हुई

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने ग्लोडाइन वेंचर्स एण्ड होल्डिंग प्राइवेट लिमि. को मूर्त प्रतिभूति पर जोर दिए बिना दिसम्बर 2010 में संस्वीकृत अल्पावधि ऋण के पुनर्निर्धारण का निर्णय लिया जिससे ₹ 24.23 करोड़ प्राप्यों की गैर-वसूली हुई।

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (कम्पनी), ग्राहकों को सामान्य उद्देश्य/उनके कार्यगत पूँजी में वृद्धि हेतु निगम ऋण/अल्पावधि ऋण देती है। यह ऋण यथार्थ परिसंपत्तियों के उचित बंधक/सूचीबद्ध शेयरों की गिरवी के रूप में उपयुक्त प्रतिभूति लेने के बाद दिए जाते हैं।

ग्लोडाइन वेंचर्स एण्ड होल्डिंग प्राइवेट लिमि. (जीवीएचपीएल) (एक ग्लोडाइन ग्रुप कम्पनी) के विभिन्न कारोबारी कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए कम्पनी ने दिसम्बर 2010 में ₹ 15 करोड़ के निगमित ऋण की मंजूरी दी एवं वितरण किया। ऋण की अवधि 17 महीनों के ऋण स्थगन सहित दो वर्ष थी। तदनुसार, इसे जून, सितम्बर और दिसम्बर 2012 में ₹ 5 करोड़ की प्रति तीन तिमाही किश्त में वापस लौटाया जाना था। कम से कम 250 प्रतिशत ऋण को कवर करने के लिए ऋण के ₹ 42.95 करोड़ के बाजार मूल्य वाले (दिसम्बर 2010) ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड (जीटीएल, एक ग्रुप कम्पनी) के 5,86,000 शेयरों द्वारा जमानत दी गई थी। तत्पश्चात् मई 2012 में, जमानत मूल्य में गिरावट के कारण कई गिरवी शेयरों की संख्या बढ़ाकर 11,69,490 कर दी गई। इसके अतिरिक्त, जमानत के रूप में ब्याज/मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु पूर्व दिनांकित चेक (पीडीसी) भी लिए गए थे।

ऋणकर्ता के साथ ऋण करार में प्रावधान था कि यदि ऋण चालू रहने के दौरान किसी भी समय कम से कम बकाया ऋण की राशि की 250 प्रतिशत सुरक्षा बनाए रखने के लिए उल्लिखित जमानत का मूल्य 10 प्रतिशत तक गिर जाता है तो ऋणकर्ता को 3 कार्यदिवसों के भीतर शेयरों में वृद्धि करना था। ऋणकर्ता को 3 दिनों के भीतर नकद मार्जिन प्रदान करना था, यदि शेयरों का बाजार मूल्य शुरुआती गिरवी मूल्य से 20

प्रतिशत तक गिर जाए। इसके अतिरिक्त, यदि ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति, ऋण के अधिशेष को कवर करने के लिए कम हो गई हो अथवा अपर्याप्त हो गई हो तो कम्पनी की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान की जानी थी।

जीवीएचपीएल ने मई 2012 से ब्याज और जून 2012 में बकाया ऋण की पहली किश्त का भुगतान करने में चूक की। इसके अतिरिक्त, जीटीएल का शेयर मूल्य 25 जुलाई 2012 को प्रति शेयर ₹ 341.95 से जबरदस्त गिरावट के साथ 27 जुलाई 2012 को ₹ 218.90 प्रति शेयर हो गया (36 प्रतिशत गिरकर)। यह मूल्य 24 अगस्त 2012 को ₹ 87.30 प्रति शेयर तक घट गया (74 प्रतिशत गिरावट) जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा राशि में ₹ 10.21 करोड़ तक कमी आई जो ऋण राशि से लगभग ₹ 5 करोड़ तक कम थी। इसी बीच (12 अगस्त 2012 को) आईसीआरए (इंवेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) ने जीटीएल के ₹ 75 करोड़ वाणिज्यिक पेपर कार्यक्रम को दी गई रेटिंग को ए2+ (अत्यधिक सुरक्षित) से घटाकर डी कर दिया जो चूक स्तर रेटिंग है (अर्थात् इस रेटिंग वाले उपकरण चूक में है या परिपक्वता पर चूक होने की संभावना है)। इसके अलावा, आईसीआरए ने ₹ 75 करोड़ के गैर परावर्तक डिबेंचर कार्यक्रम को दी गई इसकी बीबीबी+ रेटिंग (सामान्य रूप से सुरक्षित) भी वापस ले ली क्योंकि यह रेटेड इंस्ट्रूमेंट के प्रति निधि जुटाने में विफल रहा।

सुरक्षा में गिरावट, आईसीआरए द्वारा क्रेडिट रेटिंग में कमी और मूलधन एवं ब्याज दोनों के भुगतान में चूक की जानकारी होने के बावजूद कम्पनी ने ऋण का पुनर्निर्धारण किया और संशोधित शर्तों एवं निर्बंधनों के सहित जीवीएचपीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए (28 अगस्त 2012), जिसमें प्रावधान था कि 1 जुलाई 2012 तक देय बकाया ब्याज का भुगतान 31 अगस्त 2012 तक दिया जाएगा और 15 सितम्बर 2012 तक देय एवं बकाया ब्याज का भुगतान 15 सितम्बर 2012 तथा उसके बाद के ब्याज का भुगतान 1 अक्टूबर 2012 से शुरू होने वाले प्रत्येक माह के पहले दिन किया जाएगा। मूलधन का पुनर्भुगतान 1 जनवरी 2013 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2014 की समाप्ति तक छः तिमाही किश्तों में किया जाना था। अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज प्रतिभूति गिरावट पर उस समय तक लिया जाना था जब तक कि प्रतिभूति, निर्धारित मूल्य तक न पहुँच जाए। जीवीएचपीएल 31 अगस्त 2012 तक तथा उसके बाद ब्याज का भुगतान करने में विफल रही।

कम्पनी ने अक्टूबर 2012 से शेयर बेचना शुरू किया और दिसम्बर 2012 तक ₹ 1.23 करोड़ वसूल किया तथा इसे ₹ 1.57 के अतिदेय ब्याज के प्रति समायोजित किया। जीवीएचपीएल 1 जनवरी और 1 अप्रैल 2013 को बकाया मूल का पुनर्भुगतान करने में

विफल रही। कम्पनी ने मई 2013 से सितम्बर 2013 तक पुनः शेयरों की बिक्री शुरू की और ₹ 74 लाख की वसूली की तथा इसे अतिदेय ब्याज के प्रति समायोजित किया और आगे की वसूली हेतु पूर्व दिनांकित चैक ₹ 2.19 करोड़ के जमा किए (जुलाई 2013)। लेकिन चैको का भुगतान विफल हो गया और इसलिए कम्पनी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दाखिल की (सितम्बर 2013)। इसके बावजूद भी मूलधन और ब्याज के प्रति कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। दुबारा कम्पनी ने शेयर बेचना शुरू किया (19 दिसम्बर 2013) और 33,504 शेयरों का पूरा स्टॉक बेचकर ₹ 2.84 लाख वसूल किया। इसके अतिरिक्त, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार (अक्टूबर 2014) जीवीएचपीएल परिसमापन की ओर अग्रसर है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- उदार शर्तों के साथ ऋण के पुनर्निर्धारण का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि जीवीएचपीएल ने ऋण करार की शर्तों के अनुसार ₹ 15 करोड़ के ऋण को कवर करने हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की, जबकि 27 जुलाई 2012 को ₹ 37.50 करोड़ की अपेक्षित प्रतिभूति के प्रति प्रतिभूति का मूल्य घटकर ₹ 25 करोड़ (₹ 218.90 प्रति शेयर) और फिर 24 अगस्त 2012 को अत्यधिक घटकर ₹ 10.21 करोड़ (₹ 87.30 प्रति शेयर) हो गया। यह जीवीएचपीएल की घटिया वित्तीय मजबूती का स्पष्ट साक्ष्य था। इसके अतिरिक्त, आईसीआरए द्वारा डी (चूक) रेटिंग, भुगतान में देरी और जीटीएल के नकद प्रवाह में बाधा दर्शाता था।
- जुलाई 2012 से एमओयू की तिथि तक शेयरों के मूल्य में लगातार गिरावट को देखते हुए, कम्पनी उदार ऋण शर्तों के साथ एमओयू साइन करने के बजाए यथासंभव वसूली हेतु गिरवी शेयरों को बेच सकती थी।
- सुरक्षा कवर को निर्धारित मूल्य तक पहुँचने तक प्रतिभूति में गिरावट के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की बजाए पुनर्निर्धारण के समय पर मूर्त जमानत पर जोर दिया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि ऋणदाताओं द्वारा प्रावधान के अनुसार प्रतिभूति में गिरावट, बकाया प्राप्यों के गैर भुगतान और कम्पनी से बार-बार के अनुरोध के बावजूद नकद मार्जिन का भुगतान करने या सुरक्षा कवर को बहाल करने की जीवीएचपीएल की अक्षमता को देखते हुए जीवीएचपीएल के ऋणदाताओं ने थोक में कम्पनी के गिरवी शेयरों को बेचने की बजाए, जिससे तात्कालिक व अत्यधिक मूल्य

गिरावट आ सकती थी, ऋण सेवा और वसूली का समय देने का निर्णय लिया (22 अगस्त 2012)

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीवीएचपीएल मई 2012 से ब्याज और शुरु से ही मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक करती रही और आईसीआरए द्वारा रेटिंग में कटौती को देखते हुए प्राप्यों की वसूली की कोई निश्चितता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त मूर्त प्रतिभूति पर जोर देने में विफल रही तथा अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति के उल्लंघन में पर्याप्त सुरक्षा लिए बिना उदार शर्तों एवं निर्बंधनों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे ₹ 24.23 करोड़ के प्राप्यों (₹ 15 करोड़ मूलधन और ₹ 9.23 करोड़ ब्याज) की गैर वसूली हुई।

### **7.2 ऋण नीति के प्रावधानों के अननुपालन और अनुचित लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्यों वसूली की वसूली न होना**

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने एक क्रेता की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय ऋण नीति के प्रावधानों से विचलन और प्रतिभूति शेरों की बिक्री न करके गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.22 करोड़ के प्राप्यों की वसूली नहीं हुई।

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (कम्पनी) उपभोक्ता खंडों को लक्ष्य बनाते हुए उत्पादों की व्यापक रेंज प्रस्तुत करते हैं जिससे उनकी विशिष्ट क्रेडिट जरूरतों को पूरा किया जा सके। घरेलू बिक्री बिल फैक्टरिंग उनमें से एक है जिससे क्लाइंट (विक्रेता) भारत में स्थित घरेलू क्रेता को माल के बीजक बनाता है, कम्पनी को बीजक सौंप देता है और तुरन्त बीजक मूल्य के 80 से 90 प्रतिशत तक का पूर्व भुगतान प्राप्त करता है। कम्पनी क्रेता से भुगतान का अनुसरण करती है। क्रेता कम्पनी को सीधे भुगतान करता है और कम्पनी क्लाइंट (विक्रेता) को शेष भुगतान करती है। कम्पनी की वर्ष 2011-12 की क्रेडिट नीति में निर्धारित है कि क्लाइंट की कुल बिक्री में से एक विशेष क्रेता को 15 प्रतिशत से अधिक बिक्री नहीं होनी चाहिए और फैक्टरिंग सुविधा संस्वीकृत करने से पहले क्लाइंट और क्रेताओं की क्रेडिट साख सुनिश्चित करने के लिए यथा परिश्रम किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (जीआईएससीओ) को प्रत्येक क्रेता के प्रति ₹ 1 करोड़ से ₹ 2 करोड़ की फैक्टरिंग सीमा के साथ 13 क्रेताओं पर उदभूत किए गए बिक्री बीजक के प्रति ₹ 10 करोड़ तक की सीमा के घरेलू बिक्री के बिल फैक्टरिंग की संस्वीकृति दी (जुलाई 2011)। 13 क्रेताओं में एक विजय ट्रेडर्स भी था।

कम्पनी और जीआईएससीओ के बीच एक करार किया गया (अगस्त 2011) जिसकी शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ कहा गया था कि क्रेता/जीआईएससीओ ली गई फैक्ट्रिंग सुविधा का बीजक तिथियों से 90 दिनों या कम में पुनः भुगतान करेगा जैसा प्रत्येक क्रेता के लिए अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा जीआईएससीओ ₹10 करोड़ के पूर्व दिनांकित चैक, इक्विटी शेयर जिनका कुल बाजार मूल्य सुविधा राशि के दोगुने से कम ना हो, गिरवी रखेगा तथा इनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत गिरावट आने पर टाप अप की व्यवस्था करेगा, प्रोत्साहकों की व्यक्तिगत गारंटी और ग्रुप कम्पनियों की निगम गारंटी प्रस्तुत करेगा। तदनुसार जीआईएससीओ ने ₹ 20 करोड़ (@ ₹ 57.97 प्रति शेयर की दर से) मूल्य के जीआईएससीओ के 34.50 लाख<sup>1</sup> शेयर गिरवी रखे और अन्य औपचारिकताएं पूरी की।

यद्यपि कम्पनी ने प्रारंभ में जीआईएससीओ के छ क्रेताओं<sup>2</sup> पर बीजकों के प्रति फैक्ट्रिंग सुविधा प्रदान की थी, 28 दिसम्बर 2012 से यह सुविधा केवल विजय ट्रेडर्स को दी गई थी क्योंकि जीआईएससीओ का कारोबार केवल विजय ट्रेडर्स के साथ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शुरुआत से ही, विजय ट्रेडर्स ने समय पर भुगतान नहीं किया था क्योंकि इसने 90 दिनों की अनुबंधित अवधि के प्रति विभिन्न बीजकों के लिए भुगतान करने में 141 से 307 दिन लिए। इसके अलावा, 2 दिसम्बर 2013 से उस तिथि जब मूल देय राशि ₹ 9.99 करोड़ हो गई, तक विजय ट्रेडर्स द्वारा न तो मूलधन का पुनः भुगतान किया गया न ही अतिदेय जुर्माने का भुगतान किया गया।

इसी बीच, 17 जनवरी 2012 को प्रतिभूत शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 28.70 प्रति शेयर तक कम हुआ था जिसके परिणामस्वरूप केवल विस्तारित सुविधा पर प्रतिभूति में ₹ 11.23 करोड़ अर्थात् 1.12 गुना तक कमी आई। जीआईएससीओ प्रतिभूति को टॉप अप करने में विफल हुई तथा कम्पनी ने ₹ 34.71 लाख में 74175 शेयर बेचे (2-13 जनवरी 2012) तथा 20 जनवरी 2012 तक ₹ 9.64 करोड़ (अतिदेय जुर्माने सहित) के बकाया देयों के प्रति बिक्री राशि को समायोजित किया। हालांकि, जीआईएससीओ के इसकी वित्तीय कठिनाई का वर्णन करने के अनुरोध (जनवरी 2012) पर, कम्पनी ने नवम्बर 2014 तक किसी शेयर की बिक्री नहीं की। यद्यपि नवम्बर 2014 के बाद से कम्पनी ने

---

<sup>1</sup> जीआईएससीओ ने सितम्बर-नवम्बर 2011 के दौरान भी 5.38 लाख के शेयर गिरवी रखे जिससे गिरवी शेयर 39.88 लाख शेयर हो गए।

<sup>2</sup> विजय ट्रेडर्स, शान्ति स्टील्स लिमिटेड, रानी सती एंटरप्राइसेस, तनु इंटरनेशनल, सोनालिका एंटर प्राइसेस और चौरी चौरा स्टील्स

9,86,638 शेयर बेचे थे तथापि, यह केवल ₹ 7.31 लाख की उगाही कर पाया क्योंकि उस समय प्रतिभूत शेयरों का बाजार मूल्य काफी<sup>1</sup> नीचे आ गया था।

जीआईएससीओ ने नकदीकरण के लिए ₹ 7.14 करोड़ मूल्य के पूर्व-दिनांकित चेक जमा किए (दिसम्बर 2013) परन्तु सभी चेक अस्वीकृत हो गए। कम्पनी समय पर प्रतिभूत शेयरों को भुनाने में भी विफल हुई तथा इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2015 तक ₹ 13.22 करोड़ (मूलधन के प्रति ₹ 9.99 करोड़ तथा अतिदेय मूलधन पर जुर्माने के प्रति ₹ 3.23 करोड़) की राशि जीआईएससीओ के प्रति बकाया देय थी। इन देयों के प्रति कम्पनी के पास उपलब्ध प्रतिभूति ₹ 7.32 लाख मूल्य के 29.27 लाख शेयर (@ ₹ 0.25 प्रति शेयर) थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- कम्पनी ने वित्तीय आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण फैक्टरिंग सुविधा को मंजूर करने से पूर्व विजय ट्रेडर्स तथा सात अन्य क्रेताओं की क्रेडिट योग्यता को सुनिश्चित नहीं किया।
- शुरुआत से विजय ट्रेडर्स द्वारा देयों के भुगतान में अधिक विलम्ब के बावजूद, किसी दर्ज स्पष्टीकरण के बिना उनकी क्रेडिट सीमा को तीन बार अर्थात् अगस्त 2011 में ₹ 1 करोड़ से ₹ 2 करोड़ तक, अगस्त 2012 में ₹ 6 करोड़ तथा 5 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ तक बढ़ाया गया। ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया कि दिसम्बर 2012 के बाद से विजय ट्रेडर्स के साथ 100 प्रतिशत बिक्री केन्द्रीकरण था जिसने स्वयं कम्पनी की इस क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन किया कि क्लाइंट का एक विशिष्ट क्रेता को अपनी कुल बिक्री के 15 प्रतिशत से अधिक बिक्री केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए।
- प्रतिभूति कवर<sup>2</sup> में काफी कमी के बावजूद, जो जनवरी 2012 से प्रारम्भ हुई कम्पनी ने अपने प्रतिभूत शेयरों की बिक्री नहीं की हालांकि प्रतिभूति कवर में कमी के मामले में अपने करार के अनुसार, यह अपने देय राशि की उगाही के लिए शेयरों को बेच सकता था।

---

<sup>1</sup> शेयरों का मूल्य जो जनवरी 2012 से फरवरी 2013 के बीच ₹ 30.95 से ₹ 50.40 तक के बीच था, नवम्बर 2014 में ₹ 2 से कम था

<sup>2</sup> प्रतिभूति कवर जो 28 फरवरी 2013 को ₹ 17.24 करोड़ था। 4 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़, 28 मार्च 2013 को ₹ 4.15 करोड़ तक था तथा यह ₹ 20 करोड़ की आवश्यक प्रतिभूति के प्रति अक्टूबर 2014 में ₹ 77.88 लाख तक कम हुआ।

- प्रमोटर की निजी गारंटी तथा ग्रुप कम्पनी की कॉरपोरेट गारंटी का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इसकी कीमत देय राशि की उगाही के लिए किसी गारंटी के बिना कम्पनी को कोर्ट फीस के अनुसार बकाया देय राशि के चार प्रतिशत थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि शेयरों की बिक्री की प्रक्रिया को टालने के निर्णय को क्लाइंट से बेहतर वसूली तथा शेयर मूल्य में सुधार की उम्मीद पर लिया गया था। इसके अलावा, ऐसी स्थिति जहां प्रतिभूति में कमी है, में इसने शेयरों की बिक्री या प्रतिभूति के टॉप-अप के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए शेयरों के आवागमन को मॉनीटर/ट्रैक करने के लिए एक तंत्र तथा दल स्थापित किया है। यह भी कहा गया कि क्लाइंट के प्रति कानूनी कार्रवाई आरम्भ की गई है तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत क्लाइंट कम्पनी तथा इसके निदेशको के प्रति शिकायते दर्ज की गई है जो न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय के लिए लम्बित हैं।

मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर का समर्थन किया (फरवरी 2016) और कहा कि विजय ट्रेडर्स की क्रेडिट सीमा को बढ़ाने का निर्णय सोचा समझा हुआ व्यावसायिक निर्णय था। इस सुविधा को व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार की अपेक्षा से जारी रखा गया था जिसकी वजह से जीआईएससीओ की स्थिति में भी सुधार हो सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2012 में अपने शेयरों को न बेचने के लिए कम्पनी को अनुरोध करते समय जीआईएससीओ ने फरवरी 2012 माह के अन्दर अपने खातों को नियमित करने का आश्वासन दिया था। अपने वादे को पूरा करने में जीआईएससीओ की विफलता के पश्चात, जब शेयर मूल्य मार्च 2012 से फरवरी 2013 के दौरान ₹ 36.05 से ₹ 50.40 प्रति शेयर के बीच था तब कम्पनी अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं की वसूली के लिए प्रतिभूत शेयरों को बेच सकती थी। इसके अतिरिक्त, भुगतान में निरन्तर चूक तथा उनके पास 100 प्रतिशत बिक्री केन्द्रीकरण के बावजूद तीन बार विजय ट्रेडर्स के लिए क्रेडिट सीमा बढ़ाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था। जहां तक कि क्लाइंट के प्रति कानूनी कार्रवाई का सम्बंध है तो यह केवल चेको की अस्वीकृति के लिए था तथा कम्पनी द्वारा कोई वसूली मुकदमा दायर नहीं किया जा सका क्योंकि इससे कोर्ट फीस के अनुसार 4 प्रतिशत दावित राशि के भुगतान के कारण कम्पनी को अतिरिक्त हानि हो सकती थी।

इस प्रकार, मूल्यांकन करते समय उचित परिश्रम के अभाव, क्रेडिट सीमा में लगातार बढ़ोतरी संशोधन तथा प्रतिभूत शेयरों को बेचने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 13.22 करोड़ के देय राशि की गैर-वसूली हुई।

एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड

7.3 अशोध्य ऋणों में निधियों का अवरोधन

उधार नीति के प्रावधानों तथा सुविधा करारों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा समय पर कार्रवाई प्रारंभ करने की विफलता के परिणामस्वरूप अशोध्य ऋण हुए ₹152 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 39.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जानी जाने वाली) (कम्पनी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जिसने इसे एक ऋण कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया, के पास पंजीकृत एक गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कम्पनी (एनबीएफसी) के रूप में उधार तथा निवेश गतिविधियां कर रहा है।

कम्पनी की ऋण बुक ने ₹ 4113 करोड़ की राशि के 112 ऋण दर्शाए (30 जून 2015 तक) जिसमें से ₹3627 करोड़ की राशि के ऋण 107 ग्राहकों को वितरित किए गए थे। अपनी उधार नीति के खण्ड 13.4 के अनुसार, किसी परिसम्पत्ति जिसके संदर्भ में ब्याज छः माह या इससे अधिक तक अतिदेय रहा, को गैर निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में माना जाना था। लेखापरीक्षा ने सभी सात ऋणों जिन्हें गैर निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था, को शामिल करते हुए 20 अधिक राशि के ऋणों की जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों जहां ऋणों को गैर- निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था, में कम्पनी ने उधार नीति द्वारा यथाअनुबंधित कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। अन्य सभी मामले ऋण बुक तथा लेखापरीक्षा में नमूना जांच के अनुसार संतोषजनक निष्पादन कर रहे थे।

कम्पनी की उधार नीति के खण्ड 15.2 में कथित है कि यदि एक कॉरपोरेट ग्राहक एसटीसीआई के अनुवर्ती कार्रवाई तथा रिकॉल नोटिस जारी करने के बावजूद प्राप्यों की राशि के भुगतान में चूक करता है तथा यदि प्राथमिक प्रतिभूति को गारंटी (निजी/कॉरपोरेट) के अलावा गिरवी रखता है तथा /अथवा बन्धक करता है तो कम्पनी को तुरन्त प्रतिभूति ब्याज लागू करना पड़ता है तथा बोर्ड को सूचित करना पड़ता है। जैसे ही एक परिसम्पत्ति एनपीए हो जाती है तो उधारकर्ता तथा गारंटर को एक रिकॉल नोटिस भेजा जाना होता है तथा छः माह के अन्दर वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया जाना चाहिए (खण्ड 15.6)। एनपीएज के मामले में, कम्पनी को ग्राहक के साथ बातचीत के माध्यम से सबसे कम संभव समय में अपने प्राप्यों को वसूल करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। दीर्घ बातचीतों की संभावना के मामले में, कम्पनी को



परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के लिए अपने एनपीएज को बेचने की संभावना को खोजना चाहिए (खण्ड 15.4)।

एनपीएज के रूप में घोषित तीन ऋण जिसमें एसटीसीआई उधार नीति द्वारा यथा अनुबंधित कार्रवाई करने में विफल हुआ,का सार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उधारी तथा वितरित राशि का विवरण	ऋण वितरण/ पुनः भुगतान का विवरण	ऋण तथा एक साथ उपलब्ध प्रतिभूतियों का उद्देश्य	पुनः भुगतान/चूक तथा कार्रवाई का विवरण	मूलधन+ ब्याज पर देय राशि ₹ करोड़ में (30 जून 2015)
1	<b>बिल्टयूब इंडस्ट्रिज लिमिटेड (बीआईएल)-</b> ₹ 15.00 करोड़	नवम्बर 2010 01.07.2011 से 10 किश्तों (तिमाही) में पुनःभुगतान किए जाने के लिए	₹ 317.07 करोड़ मूल्य की सम्पूर्ण नियत परिसम्पत्तियों पर प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति कैप्टिव पावर प्लांट के थोड़े वित्तपोषण सहित सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य हेतु ऋण	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ की केवल दो किश्तों का भुगतान किया गया 31.07.2012 पर एनपीए के रूप में ऋण के रूप में ऋण की घोषणा की गई	19.19 (12.00+7.19)
2	<b>ऐरा हाउसिंग एवं डेवलपर्स लिमिटेड (इंडिया)-</b> (ईएचडीएल)- ₹25.00 करोड़	मार्च 2010 एक वर्ष ऋण को समय-समय पर नवीकृत किया गया। पिछला नवीकरण 23.09.2013 को बारह माह की अवधि के लिए था।	ऋण को प्रोत्साहक कम्पनी अर्थात ऐरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि. के 37,59,819 शेयरों को गिरवी रखने के प्रति मंजूर किया गया। कम्पनी ने उधारके 32,86,201 शेयरों को बेचा(फरवरी 2014 से दिसम्बर 2014) तथा देय ब्याज के प्रति ₹ 2.46 करोड़ राशि को	अक्टूबर 2013 से ब्याज के भुगतान में चूक ऋण को 01.03.2015 को एनपीए के रूप में घोषित किया गया।	25  (गिरवी शेयरों की बिक्री से ब्याज को समायोजित किया)

			समायोजित किया। कम्पनी के पास शेष शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 13.97 लाख है (सितम्बर 2015)।		
3	तूलिप टेलीकॉम लि. की दो प्रोत्साहक कम्पनियां अर्थात् सेदर इंफोनेट प्रा. लि. (सीआईपीएल ₹50 करोड़), सुखमनी टेक्नोलॉजी प्रा.लि. (एसटीपीएल- ₹50 करोड़ ) तथा पृथक क्षमता में इसके प्रोत्साहक (₹15 करोड़) ₹115.00 करोड़	सितम्बर 2010/फरवरी 2012/सितम्बर 2013 सीआईपीएल एवं एसटीपीएल को दो ऋणों का नवीकरण नवम्बर 2013 में किया गया।	ऋण को तूलिप टेलीकॉम लि. (1.43 करोड़ + 1.35 करोड़) शेयरों को गिरवी रखने तथा ₹ 15 करोड़ के पृथक ऋण के लिए आवासीय परिसम्पत्ति पर द्वितीय एवं सहायक गिरवी प्रभार के प्रति मंजूर किया गया।	कम्पनी ने ऋण अगस्त/सितम्बर 2014 में एनपीएज के रूप में घोषित किया। रि कॉल नोटिस (सितम्बर 2014) में जारी किया	147.17 (115.00+32.17)

लेखापरीक्षा ने तीन ऋणों के संदर्भ में निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- (i) बीआईएल ने 1 जुलाई 2011 की प्रथम देय तिथि से किश्तों के भुगतान में चूक की। ऋणी (बीआईएल) एक मुश्त निपटान के लिए आगे आया (अगस्त 2014)। तथापि अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि कोई ठोस योजना प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएल का निवल धन मार्च 2014 तक क्षरित हो गया था तथा इसे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया (जुलाई 2015)। कम्पनी ने ऋण करार समाप्त किया तथा बीआईएफआर के पास उधारी के पंजीकृत होने और सुविधा करार के ब्याज (खण्ड 5(एच) का भुगतान न करने की एक तिमाही के पश्चात रि कॉल हेतु प्रावधान के प्रति एनपीए के रूप में परिसम्पत्ति की घोषणा तथा ऋण को वापिस लेने के बीच तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात मात्र रि कॉल नोटिस जारी किया (अगस्त 2015)। कम्पनी ने चेको की अस्वीकृति के तीन दृष्टान्तों हेतु परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस जारी किए। हालांकि कम्पनी द्वारा ₹ 15 करोड़ के लिए निदेशको की निजी गारंटी लागू की गई थी (अगस्त 2015) फिर भी कोई

वसूली संभव नहीं थी क्योंकि यह निजी गारंटी असुरक्षित थी। अपने देय प्राप्यों की वसूली के लिए कम्पनी की विफलता इस तथ्य के बावजूद थी कि कम्पनी के पास उधारी की नियत सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार था। कम्पनी ने उधारी को सुविधा करार के खण्ड 17(ए) तथा (सी।।।) के अनुसार अब तक चूककर्ता के रूप में घोषित नहीं किया परन्तु केवल आवधिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ऋणों का भुगतान न करने का ब्यौरा सूचित किया।

- (ii) ईएचडीएल ने अक्टूबर 2013 से ब्याज के भुगतान में चूक करना आरम्भ किया। तथापि, कम्पनी मूल ऋण की वसूली करने के लिए गिरवी शेयरों को बेच नहीं सकी क्योंकि शेयर मूल्य तेजी से कम हुए। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि ऋण की मंजूरी के समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआईबीआईएल द्वारा क्रेडिट रेटिंग उधारी के संदर्भ में संतोषजनक थी फिर भी इसने गारंटर के संदर्भ में अतिदेय स्थिति दर्शाई। ऋण को 10 माह के विलम्ब के पश्चात एनपीए घोषित किया गया (मार्च 2015) तथा रिकॉल नोटिस को जबसे ब्याज अतिदेय था तबसे छः माह की अनुबद्ध अवधि के प्रति 17 माह के विलम्ब के पश्चात केवल 30 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया था।
- (iii) सीआईपीएल तथा एसटीपीएल ने प्रारंभिक ऋण का पुनः भुगतान करने में चूक की परन्तु कम्पनी ने केवल ऋणों को मात्र नवीकृत नहीं किया अपितु उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रोत्साहकों को ₹ 15 करोड़ का नया ऋण भी मंजूर किया (सितम्बर 2013)। ऋणों के नवीकरण के समय पर विस्तारित विभिन्न रियायतों में 15.5 प्रतिशत की अपेक्षित (नवीकरण के नियम और शर्तों के अनुसार) बढ़ी हुई दर की बजाय मौजूदा दर (15 प्रतिशत) ऋण का विस्तार तथा देय ब्याज के प्रति ₹ 14.69 लाख की राशि को चार माह के लिए प्रभारित अधिक/दाण्डिक ब्याज का समायोजन (मार्च 2014) सम्मिलित था। रिकॉल नोटिस जारी (सितम्बर 2014) होने के बावजूद, उधारी/गारंटर्स ने बकाया प्राप्यों का भुगतान नहीं किया। कम्पनी ने उधार नीति के खण्ड 15.2 के तहत यथा प्रावधानित प्रतिभूति को लागू करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की (दिसम्बर 2015)।

इस प्रकार, ऋणों को एनपीए के रूप में घोषित करने, ऋणों की रिकॉलिंग, प्रतिभूति को लागू करने, एनपीए को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेचने के विकल्प को खोजने तथा इसकी उधार नीति के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर ऋणों के प्रति एक

सिविल मुकदमा दायर करने में कम्पनी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप उक्त तीन ऋण मामलों में मूल तथा ब्याज के प्रति ₹ 191.36 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर /दिसम्बर 2015) कि:

- (i) **बीआईएल** ने विभिन्न बैंको से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया था तथा कम्पनी का शेयर केवल 5% लगभग था। कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) को सीडीआर सेल द्वारा अनुमोदित किया गया (मई 2013) तथा इसलिए एसटीसीआई ने तुरन्त न्यायालय में मुकदमा दायर करके अकेले ही वसूली कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की क्योंकि यह अनुभव किया गया कि सभी उधारकर्ताओं द्वारा सामान्य कार्रवाई प्रत्येक ऋणदाता द्वारा व्यक्तिगत कार्रवाई से अधिक प्रभावी होगी। तथापि सीडीआर पैकेज विफल हुआ (मार्च 2014)। संघ के अग्रणी बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अन्य परिसम्पत्ति पुननिर्माण कम्पनी को अपनी परिसम्पत्तियां बेचने (मार्च 2015) के पश्चात ही अगस्त 2015 में रिकॉल नोटिस जारी किया गया। निगोशीअबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आरम्भ की गई कार्रवाई जारी है।
- (ii) **ईएचडीएल** ने प्राप्य राशियों के पुनः भुगतान के लिए अपनी असमर्ता प्रकट की क्योंकि ग्रुप अवसंरचना क्षेत्र में है तथा इसकी कई परियोजनाएं प्रतिकूल आर्थिक स्थिति, विभिन्न प्राधिकरणों से विलम्बित भुगतान, विभिन्न बाधाओं की वजह से सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में कठिनाई के कारण प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि हुई। शेयर मूल्य लगातार कम हुए जिसने स्टॉक के परिसमापन करने के प्रयासों को प्रतिबंधित किया। ग्राहक कम्पनी की निरन्तर जांच तथा प्रोत्साहन के कारण अप्रैल 2014 तक कुछ विलम्बों के साथ ब्याज का शोधन कर रहा था । अतिरिक्त भूमि खण्डों को केवल कम्पनी से अत्यधिक दबाव के बाद भाग प्रतिभूति के रूप में प्राप्त किया गया था। रिकॉल नोटिस 30 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया तथा कम्पनी देय राशियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में है।
- (iii) **सीआईपीएल एवं एसटीपीएल** शेयरों को गिरवी रखकर अथवा नकद मार्जिन जमा करके अतिरिक्त मार्जिन देने में असमर्थ थी। स्टॉक बाजार में टीटीएल शेयरों की मुक्त गिरावट के परिणामस्वरूप (अगस्त 2012), कोई ऋणदाता किसी शेयर को बेच नहीं सका। सीडीआर पैकेज के सफल क्रियान्वयन के लिए अन्य सहायता प्रदान करने हेतु, व्यक्तिगत ऋण को पहले ही किसी अन्य ऋणी को गिरवी रखी हुई प्रोत्साहक की आवासीय सम्पत्ति पर उपलब्ध परिसम्पत्ति कवर के प्रति

मंजूर किया गया। सीडीआर पैकेज को विभिन्न कारणों की वजह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। कम्पनी बोर्ड ने एसटीपीएल तथा व्यक्तियों के प्रति मध्यस्थता प्रक्रियाओं तथा सीआईपीएल के प्रति मुकदमा दायर करने की शुरुआत को अनुमोदित किया (7 नवम्बर 2015)।

- (iv) एनपीए के रूप में घोषित खाते सीआईबीआईएल को डाटा के मासिक उद्यतन द्वारा सूचित किए जाते हैं।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2016) कि मामले को आरबीआई के साथ लिया गया तथा आरबीआई ने सूचित किया है कि एसटीसीआई फाइनेंस लि. ने एनपीए के रूप में उल्लिखित खाते को वर्गीकृत किया था तथा कम्पनी द्वारा अपनाई वसूली प्रक्रिया पर देने के लिए उसके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जब सीडीआर पैकेज विफल हो या जब उधारी एक मुश्त निपटान के लिए आगे आए तो एक स्वतंत्र एनबीएफसी होने के नाते तथा बीआईएल की परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार रखने वाली कम्पनी को प्राप्यों की वसूली के लिए उचित तथा समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। चूककर्त्ताओं के प्रति कोई कानूनी कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई। वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ न करने के कम्पनी के निर्णय ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए क्योंकि बीआईएल को ऋण देने वाले अग्रणी बैंकर एसबीआई ने कम्पनी को सूचित किए बिना मार्च 2015 में एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को अपने ऋण बेचे। उधारी ईएचडीएल के संदर्भ में ₹ 25 करोड़ की बकाया ऋण राशि के प्रति कम्पनी के पास प्रतिभूति शेयरों का मूल्य केवल ₹ 0.14 करोड़ था तथा कृषि भूमि के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति का मूल्य ₹ 13.36 करोड़ था। इसके अलावा, गारंटर के माध्यम से वसूली की संभाव्यता भी निश्चित नहीं थी क्योंकि ऋण की मंजूरी के समय भी गारंटर की क्रेडिट रिपोर्ट ने अतिदेयता दर्शाई थी। सीआईपीएल, एसटीपीएल तथा प्रोत्साहको को ऋणों के मामले में, टीटीएल के 2.78 करोड़ गिरवी शेयरों के रूप में उपलब्ध प्रतिभूति प्रयोज्य नहीं है तथा ₹ 115 करोड़ के ऋण के प्रति उधारी के संदर्भ में ₹ 109 करोड़ की आवासीय सम्पत्ति पर द्वितीय प्रभार कम्पनी के हित को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा ₹ 15 करोड़ के अतिरिक्त ऋण को कोई अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना बढ़ाया गया था।

इस प्रकार, अपनी उधार नीति के प्रावधानों तथा सुविधा कारारो की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई प्रारम्भ करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 152 करोड़ के ऋण अशोध्य हुए तथा कम्पनी की स्वयं की निधियों का अवरोधन हुआ और उस पर ₹ 39.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई ।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

**7.4 जोखिम के अत्यधिक अवरोधन के कारण के बीमा दावे का परिहार्य भुगतान।**

अपनी स्वचालित क्षमता से अधिक जोखिम का उत्तरदायित्व लेखे से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था की विफलता (एफएसी) पुनर्बीमा के कारण, यूआईआईसी को ₹ 8.93 करोड़ के परिहार्य दावे का भुगतान करना पड़ा।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (यूआईआईसी) (कम्पनी) ने ₹ 1,501.04 करोड़ की बीमित राशि के लिए 20 मार्च 2009 से 19 मार्च 2012 की समयावधि को कवर करने वाली बीएचईएल पीपावव परियोजना (बीमित) को एक मैरिन कम इरेक्शन पॉलिसी<sup>1</sup> जारी की (मार्च 2009)। नीति की प्रति निम्नतर सीमा (पीबीएल<sup>2</sup>) ₹ 150 करोड़ थी तथा कम्पनी का पीबीएल शेयर ₹ 135 करोड़ था क्योंकि कम्पनी तथा ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी के बीच शेयर किया गया जोखिम 90:10 के अनुपात में था। कम्पनी की स्वचालित क्षमता<sup>3</sup> ₹ 103.50 करोड़ थी। प्रति निम्नतर सीमा (पीबीएल) इसकी स्वचालित क्षमता से अधिक थी, इस तथ्य के बावजूद कम्पनी ने ₹ 31.50 करोड़ (अर्थात् ₹ 135 करोड़-₹ 103.50 करोड़) के अधिक बीमा कवरेज के लिए वैकल्पिक पुनर्बीमा की व्यवस्था नहीं की।

बीमाकृत (बीएचईएल) ने गैस टर्बाइन में पीपावव साइट पर ले जाते समय हुई क्षति के कारण पॉलिसी के तहत ₹ 114.48 करोड़ की हानि सूचित की। इस खेप के लिए अंतिम बीमाकृत राशि ₹ 130.18 करोड़ थी। कम्पनी ने ₹ 83.95 करोड़ की हानि निर्धारित की तथा वसूली अधिकारों का संरक्षण न होने की ओर ₹ 8.51 करोड़ कम करने के पश्चात् ₹ 75.44 करोड़ के निवल दावे को मंजूर किया (अक्टूबर 2013)। कम्पनी ने निवल दावे से ₹ 67.90 करोड़ के अपने शेयर का भुगतान किया। इस प्रकार, कंपनी ने अपनी स्वचालन क्षमता से अधिक कवर किए गए जोखिम के लिए वैकल्पिक पुनर्बीमा की व्यवस्था न करने के कारण ₹ 8.93 करोड़<sup>4</sup> का परिहार्य भुगतान किया।

<sup>1</sup> दिनांक 20 मार्च 2009 को नई दिल्ली में जारी नीति संख्या 500300/21/08/02/00000 1360

<sup>2</sup> पीबीएल बीमित आवरक मैरिन कार्गो जोखिम द्वारा घोषित एकल पारगमन में खेप का अधिकतम मूल्य है।

<sup>3</sup> स्वचालित क्षमता = ₹ 103.50 करोड़ [अनिवार्य ₹ 13.50 करोड़+ ₹ 10 करोड़ का निवल अवरोधन + ₹ 80 करोड़ की (अन्तर-ग्रुप ट्रिटिज + अधिशेष ट्रिटिज)]

<sup>4</sup> परिहार्य दावा भुगतान: कुल निवल दावा (₹ 75.44 करोड़) \* 90 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 67.90 करोड़) \* 13.18 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 8.95 करोड़) घटा आनुपातिक प्रीमियम आय (₹ 1.78 लाख) = ₹ 8.93 करोड़

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि खेप के पारगमन के संदर्भ में पूर्व सूचना की प्राप्ति न होने के कारण वैकल्पिक पुनर्बीमा को परेषण के लिए व्यवस्थित नहीं किया गया था तथा आगे यह कहा गया कि दावे का निपटान करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्बीमा कार्यक्रम में भिन्नता को मंजूर किया गया (मार्च 2011)। मंत्रालय ने प्रबंधन के मत की पुष्टि की है (मार्च 2015)।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि चूंकि प्रति निम्नतर सीमा स्वचालित क्षमता से अधिक थी, अतः कम्पनी को जोखिम का उत्तरदायित्व लेने से पूर्व इसकी स्वचालन क्षमता से अधिक बीमा कवरेज के लिए वैकल्पिक पुनर्बीमा लेना आवश्यक था। स्वीकृत आरआई कार्यक्रम से विचलन के लिए किसी विशिष्ट मंजूरी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था।

इस प्रकार, अपनी स्वचालन क्षमता से अधिक जोखिम का उत्तरदायित्व लेने से पूर्व वैकल्पिक पुनर्बीमा की व्यवस्था करने में विफलता के कारण, कम्पनी को ₹ 8.93 करोड़ के दावे के परिहार्य भुगतान को जारी रखना पड़ा।